न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास प्रतिभा वर्मा, आई.ए.एस

प्रकरण संख्याः 246 / 2021 / दावा 136 एलआरएक्ट

सीताराम यादव पुत्र मोहनलाल जाति यादव निवासी लामियॉ तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

– वादी

ब ना म

राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

– प्रतिवादी

दावा बाबत रिकार्ड दुरूस्ती

उपस्थिति–

1. श्री सुरेन्द्र सिंह विश्राम वकील प्रार्थी की ओर सें।

नि र्ण य दिनांक– 28.11.2022

1 आवदेन पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम लामियॉ पटवार हल्का लामियॉ तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की तन में अवस्थित कृषि भूमियॉ ख.नं. 502 ता 506, 508 ता 519 कुल किता 17 कुल रकबा 22.0100 हैक्टेयर अवस्थित है। जिसमें वादी का हक, हिस्सा 809 / 125352 एवं कृषि भूमियॉ ख.नं. 1526 ता 1529, 1531, 1532, 1532 / 1730, 1533 ता 1544 कुल किता 19 कुल रकबा 6.3000 हैक्टेयर में वादी का हक, हिस्सा 1 / 168 अवस्थित है जो वादी का कब्जे, काश्त व खातेदारीशुदा है जिसमें वादी के हक, हिस्से की खातेदारी सेडू पुत्र मोहन के नाम से दर्ज राजस्व रिकार्ड है। इस प्रकार वादी के नाम से ग्राम लामियॉ की भूमियों में उसका नाम सेडू पुत्र मोहन गलत रूप से दर्ज है। जबकि वादी का सही व वास्तविक नाम सीताराम यादव पुत्र मोहनलाल है। वादी को दोनों ही नाम यथा सीताराम व सेडू के नाम से जाना, पहचाना एवं पुकारा जाता है। वादी के अन्य दस्तावेज यथा आधार कार्ड, आयकर कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, परिवान राशन कार्ड, विघालय रिकार्ड एवं अन्य समस्त रिकार्ड में सीताराम यादव ही दर्ज है परन्तु राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम उपरोक्त वर्णित गलत रूप से सेडू पुत्र मोहन

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़

दर्ज है एवं दुरूस्त किये जाने योग्य है व वादी को यह रिकार्ड दुरूस्ती का दावा पेश किया जाना आवश्यक हुआ है। वाद कारण अरसा करीब दस रोज पूर्व प्रतिवादी के अधीनस्थ कर्मचारियों व अधिकारियों द्वारा वादी का नाम दुरूस्त करने से स्पष्ट इन्कार होने पर उत्पन्न हुआ जो कि क्षण–प्रतिक्षण निरन्तर रूप से चालू है। अतः आवेदन पेश कर अंत में यह इस्तदुआ चाही गई कि आवेदन स्वीकार कर भूमि खसरा नम्बर 502 ता 506, 508 ता 519 कुल किता 17 कुल रकबा 22.0100 हैक्टेयर तथा कृषि भूमियॉ ख.नं. 1526 ता 1529, 1531, 1532, 1532/1730, 1533 ता 1544 कुल किता 19 कुल रकबा 6.3000 हैक्टेयर ग्राम लामिया पटवार हल्का लामिया तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज वादी का नाम सेडु पुत्र मोहन के स्थान पर वादी का नाम सीताराम पुत्र मोहनलाल दर्ज किया जाकर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दीं में संशोधन के आदेश पारित किया जावें।

2 आवेदन पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार दांतारामगढ सें तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाई गई। वकील प्रार्थी की बहस एक पक्षीय सुनी गई। बहस के दौरान आवेदन में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए आग्रह किया गया कि राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज वादी का नाम सेडु पुत्र मोहन के स्थान पर वादी का नाम सीताराम पुत्र मोहनलाल दर्ज किया जाकर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दीं में संशोधन के आदेश पारित किया जावें।

3 बहस विद्वान अधिवक्ता वादी पर मनन किया तथा आवेदन पत्र में वर्णित तथ्यों का अवलोकन किया। तहसीलदार दांतारामगढ की रिपोर्ट का अधोपांत अवलोकन किया गया । तहसीलदार रिपोर्ट में अंकन किया गया है रिपोर्ट पटवारी अनुसार ग्राम लामिया के आराजी ख.नं. 502 लगायत 508, 509 लगायत 519 कुल किता 17 रकबा 22.01 है0 व ख.नं. 1526 लगायत 1529, 1531 लगायत 1544, 1532/1730 कुल किता 19 रकबा 6.30 है0 में सेडू पुत्र मोहन जाति अहिर दर्ज राजस्व रिकार्ड है। रिपोर्ट पटवारी अनुसार सेडू पुत्र

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़

मोहन का नाम राजस्व रिकार्ड मे जरिये विरासत नामान्तरकरण संख्या 463 दिनांक 23.06.1989 के द्वारा आया है। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी सेडू पुत्र मोहन को ग्राम में सेडू उर्फ सीताराम के नाम से जाना जाता है तथा वादी के समस्त दस्तावेजों में जैसे आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड में वादी का नाम सीताराम पुत्र मोहनलाल दर्ज है। रिपोर्ट पटवारी अनुसार सीताराम पुत्र मोहनलाल शुद्व किया जाना उचित है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा तहसीलदार रिपोर्ट के आधार पर स्पष्ट है कि वादी का दावा रिकार्ड दुरूस्ती स्वीकार योग्य है। **अतः वादी का दावा रिकार्ड दुरूस्ती स्वीकार किया जाता है तथा भूमि खसरा 502 ता 506, 508 ता 519 कुल किता 17 कुल रकबा 22.0100 हैक्टेयर तथा कृषि भूमियों ख.नं. 1526 ता 1529, 1531, 1532, 1532/1730, 1533 ता 1544 कुल किता 19 कुल रकबा 6.3000 हैक्टेयर ग्राम लामिया पटवार हल्का लामिया तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में दर्ज वादी का नाम सेडु पुत्र मोहन के स्थान पर वादी का सही व वास्तविक नाम सीताराम उर्फ सेडु पुत्र मोहनलाल दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। शेष जमाबंदी बदस्तूर रहे।** राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 28.11.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

28/11/22

(प्रतिभा वर्मा IAS)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ